

न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

धारा- M.V. Act

थाना- टी.आई.

दिनांक:-19.05.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त अनुपस्थित।

अभियुक्त को कई बार प्रॉसेस जारी किया गया, किन्तु अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पायी। प्रकरण एम.वी.एक्ट से संबंधित है। वाद पेटी ऑफेनस से संबंधित है एवं एक वर्ष से पुराना है। ऐसी दशा में वाद की कार्यवाही अन्तर्गत धारा-258 दं०प्र०सं० समाप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः न्यायहित में धारा-258 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामले की कार्यवाही रोकी जाती है। अभियुक्त को उन्मोचित किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल-दफ्तर हो।

विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
वाराणसी।